न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3391–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–8–2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 76/अपील/2014–15

.....

1–दुर्गाप्रसाद पुत्र स्व0श्री रामसिंह

2–हरगोविन्द उर्फ बब्लू पुत्र स्व0श्री रामसिंह

निवासीगण ग्राम हिनोतिया आलम,

तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0

..... निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती सुशीला बाई तथाकथित विधवा फूलसिंह

द्वारा वली संरक्षक पुत्र सुनील

2–सुनील तथाकथित पुत्र स्व0 श्री फूल सिंह

दोनों निवासीगण ग्राम सतलापुरा, तहसील गोहरगंज,

जिला रायसेन म0प्र0

..... उत्तारवादीगण/अनावेदकगण

.....

श्री टी0पी0विश्वकर्मा, अभिभाषक–निगरानीकर्तागण

श्री एम0एल0रघुवंशी, अभिभाषक–उत्तारवादीगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 5/7/2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम हिनोतिया आलम प0ह0नम्बर 38/28 पुराना ख0नं0 144/1 रकबा 0.04 एवं 71, 72/4 रकबा 4.68 ए0 कुल रकबा 4.72 ए0 में से उत्तरवादीगण का हिस्सा 2.36 ए0 होता है । बंदोबस्त के बाद नवीन ख.क. 313, 456, 460, 461, 462 एवं 463/1 रकबा कमशः 0.01, 0.60, 0.09, 0.14, 0.67 एवं 0.162 हे0 कुल रकबा 1.672 हे0 में से उत्तरवादीगण का हिस्सा 0.955 हे0 अर्थात् 2.36 ए0 होता है । प्रश्नाधीन भूमि उत्तरवादी कमांक 1 के पति एवं उत्तरवादी कमांक 2 के पिता स्व0 फूलचन्द तथा निगरानीकर्तागण के पिता स्व0रामसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज थी । उत्तरवादीगण स्व0फूलचन्द के बैध वारिसान तथा निगरानीकर्तागण स्व0रामसिंह के बैध वारिसान हैं । निगरानीकर्ता कमांक 1 एवं 2 के द्वारा वारिसाना आधार पर प्रश्नाधीन भूमि का फौती नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 25 दिनांक 27–7–1988 पर अपने नाम कराया । उत्तरवादीगण को नामान्तरण की जानकारी ओलावृष्टि का मुआवजा लेने हेतु तहसील में पहुँचने में हल्का पटवारी द्वारा दी गई। नामान्तरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 26–4–2011 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 18–5–2011 को सत्यप्रतिलिपि प्राप्त कर अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन के साथ प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो समयावधि के बाहर मान्य करते हुये प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 19–6–2012 के द्वारा निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–6–2012 के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा द्वारा दिनांक 31–8–2015 को अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर मृतक भूमिस्वामी रामसिंह एवं फूलचन्द के विधिक वारिसान का नाम राजस्व अभिलेख में फौती नामान्तरण के आधार पर किया जाये तथा माननीय सिविल न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबधं में पारित निर्णय उभयपक्ष एवं राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होगा । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तरवादी कमांक 1 सुशीलाबाई मृतक भूमिस्वामी फूलचन्द की पत्नी नहीं होकर मंगलसिंह की पत्नी थी, इसलिये प्रश्नाधीन भूमि में उत्तरवादी कमांक 1 सुशीलाबाई का हित निहित नहीं है । यह भी कहा गया कि अभिलेख में फूलचन्द की मृत्यु दिनांक 15–7–1986 को होना दर्शाया गया है, ऐसी स्थिति में उत्तरवादी कमांक 2 सुनील का जन्म वर्ष 1990 में नहीं हो सकता है और वर्ष 1990 में हुआ है, तो वह फूलचन्द का पुत्र नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि उपरोक्त बिन्दुओं का निराकरण राजस्व न्यायालय से नहीं होकर व्यवहार न्यायालय से होगा और उभयपक्ष के मध्य प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद भी लंबित है । उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तथ्यों की विस्तार से विवेचना की जाकर आदेश पारित किया गया है, जिसमें आयुक्त को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये था और समय सीमा के बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाना चाहिये था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामान्तरण पंजी पर सुशीलाबाई को सुना जाना आवश्यक नहीं था, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि में उनका कोई हित निहित नहीं है । यह भी कहा गया कि निगरानीकर्तागण की ओर से सुशीलाबाई मृतक भूमिस्वामी फूलचन्द की पत्नी नहीं होने संबंधी प्रमाण प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि आयुक्त का यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि उत्तरवादीगण की ओर से प्रस्तुत तर्को का प्रतिवाद नहीं किया गया है, जबकि निगरानीकर्तागण की ओर से उत्तरवादीगण के तर्क स्वीकार नहीं किये गये हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश है ही नहीं और आयुक्त द्वारा गलत ढॅग से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख किया गया है । उनके द्वारा आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक भूमिस्वामी फूलचन्द की पत्नी जानकीबाई की मृत्यु ला–औलाद हुई है और जानकीबाई की मृत्यु उपरांत मृतक भूमिस्वामी फूलचन्द ने उत्तरवादी कमांक 1 सुशीलाबाई से नातरा किया था और फूलचन्द से ही सुनील का जनम हुआ है। स्कूल की मार्कशीट अनुसार सुनील का जनम वर्ष 1987 में हुआ है और दिनांक 3–6–87 को फूलचन्द की मृत्यु हुई है । इस आधार पर कहा गया कि सुनील फूलचन्द का पुत्र है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि निगरानीकर्ता दुर्गाप्रसाद द्वारा सुनील की स्कूल में भर्ती करने संबंधी आवेदन दिया गया था, जिसमें सुनील को फूलचन्द का पुत्र लिखा है । तर्क में यह भी कहा गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचनामा बनाया गया है, जिसमें उत्तरवादी कमांक 1 सुशीलाबाई को फूलचन्द की पत्नी एवं सुनील को पुत्र दर्शाया गया है । यह भी कहा गया कि परिचय पत्र में सुशीलाबाई के पति के रूप में फूलचन्द का नाम लिखा है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त के समक्ष समय सीमा पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है, अतः इस न्यायालय में इस संबंध में तर्क प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । तर्क में यह भी कहा गया कि नामान्तरण पंजी पर इश्तिहार जारी करने का दिनांक नहीं है और न ही कितने दिन के लिये इश्तिहार जारी किया गया है, इसका कोई उल्लेख नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सुनी की अंकसूची आवेदक दुर्गाप्रसाद ने ही प्राप्त की है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवादित है कि फूलचन्द की मृत्यु के उपरांत निगरानीकर्तागण के पक्ष में वारिसान के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही वर्ष 1988 में की गई थी । उक्त कार्यवाही को उत्तरवादीगण के द्वारा अपील में लगभग 23 वर्ष के बाद अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई, जिसको अनुविभागीय अधिकारी ने समय बाह्य माना है। उक्त आदेश की अपील आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उत्तरवादीगण के द्वारा की गई । आयुक्त के द्वारा अपील स्वीकार की गई । प्रकरण में आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है

कि उन्होंने अपील को समयावधि में मान्य किया है तथा इसका कारण यह माना है कि उत्तरवादीगण मृतक के विधिक वारिसान थे तथा उन्हें नामान्तरण की कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई थी । प्रकरण में निगरानीकर्तागण की ओर से ऐसे अनेक साक्ष्य पेश किये गये, जिनके आधार पर उत्तरवादीगण के मृतक फूलचन्द के विधिक वारिसान होने की स्थिति को संदेहास्पद माना जा सकता है । उत्तरवादी सुनील कुमार की आयु के संबंध में ऐसे दस्तावेज पेश किये गये हैं, जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि वह मृतक फूलचन्द का पुत्र नहीं हो सकता है । इसी प्रकार उत्तरवादी सुशीलाबाई के किसी अन्य की पत्नी होने के संबंध में भी साक्ष्य पेश किये गये । निगरानीकर्तागण के द्वारा पेश सभी साक्ष्यों का कोई विश्वसनीय खण्डन उत्तरवादीगण की ओर से नहीं किया गया । विद्वान आयुक्त ने अपने निष्कर्ष जिन आधारों पर निकाले है, वह अप्रमाणित आधार है तथा उनके आधार पर 23 वर्ष की अवधि बीतने के उपरांत नामान्तरण को चुनौती दिये जाने को सही नहीं ठहराया जा सकता है । आयुक्त ने इस बिन्दु पर भी ध्यान नहीं दिया है कि यदि उत्तरवादीगण मृतक के वैध वारिसान थे तो उन्होंने मृतक की मृत्यु के उपरांत अपने हक में इतनी लम्बी अवधि तक नामान्तरण की कार्यवाही सम्पादित करने के लिये क्यों प्रयास नहीं किये । आयुक्त का यह निष्कर्ष कि माननीय उच्च न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में निराकरण किया जा चुका है, भी तथ्यात्मक नहीं है तथा व्यवहार न्यायालय में इस संबंध में अभी विनिश्चय होना है । स्पष्ट है कि आयुक्त के समक्ष ऐसे कोई पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं थे, कि 23 वर्ष की लंबी अवधि बीतने के उपरांत अपील को सुनवाई के लिये ग्राह्य किया जाकर उत्तरवादीगण के पक्ष में आदेश पारित किया जा सके। उत्तरवादीगण ने आयुक्त के समक्ष अपना दावा प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं कराये हैं । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पटवारी के द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसकी पुष्टि साक्ष्य के माध्यम से नहीं की गई है और न ही ऐसा कोई प्रयास उत्तरवादी पक्ष की ओर से आयुक्त के समक्ष किया गया है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–2015 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर